रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

(51)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2010/माघ 1, 1931

No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2010/MAGHA 1, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2010

सं. एल-1/13/2010-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (2) (म) के साथ पठित धारा 66 और राष्ट्रीय विद्युत नीति के पैरा 5.7.1 (च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

भाग-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(i) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 है ।

(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं तथा निर्वचन :

(i) इस विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) 'वार्षिक आवर्तन' से विद्युत में मिलियन यूनिट (एमयू) में ऐसा आवर्तन अभिप्रेत है जिसकी संगणना वित्तीय वर्ष में पावर एक्सचेंज पर किए गए सभी प्रकार के संव्यवहारों की कुल संख्या पर विचार करते हुए की जाएगी ।

उदाहरणार्थ : यदि 10 एमयू का संव्यवहार किया जाता है तो 10 एमयू का ही आवर्तन समझा जाएगा तथा न कि उस संव्यवहार की क्रय मात्रा के रूप में 10 एमयू तथा विक्रय मात्रा के रूप में 10 एमयू के अतिरिक्त संचित पर ।

(ग) "स्वचालित आडिट ट्रेल" से बाद की तारीख/समय के संदर्भ के लिए पावर एक्सचेंज की इलैक्ट्रानिक व्यापार प्रणाली में संव्यवहारों (सृजन, उपांतरण या लोप) के समय-अनुक्रम का स्वचालित सृजन तथा रखरखाव अभिप्रेत है ;

(घ) "बोर्ड" से पावर एक्सचेंज का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ड.) "उत्पादक संध" से बाजार भागीदारों द्वारा ऐसा कार्य अभिप्रेत है जो विद्युत के उत्पादन, वितरण, विक्रय या कीमतों या संव्यवहार को नियंत्रित करने या नियंत्रित करने का प्रयास करने के लिए बनाए गए संगम द्वारा किया गया हो;

(च) "संविदा" से विद्युत या उससे संबंधित उत्पादों के क्रय या विक्रय के लिए या उससे संबंधित संविदा अभिप्रेत है ;

(छ) "समाशोधन निगम" से ऐसा संगठन अभिप्रेत है जो एक्सचेंज पर व्यापार की गई ऐसी सभी संविदाओं का समाशोधन और वित्तीय निपटान आरंभ करेगा जिससे वह सहबद्ध है या जो समय-समय पर यथासंशोधित इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा विरचित नियमों तथा विनियमों के अनुसार एक्सचेंज से बाहर व्यापार की गई कोई संविदाएं हैं ;

(ज) "समाशोधन" से पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार के बंद के परिणामस्वरूप एक्सचेंज के सदस्यों की बाध्यताओं के अवधारण की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(झ) "ग्राहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने ऐसे सदस्य या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से निपटान और/या समाशोधन के लिए पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के सदस्य के साथ करार निष्पादित किया है ;

(ञ) "क्रेडिट जोखिम" से किसी संविदा करने वाले पक्षकारों की वित्तीय शर्त में परिवर्तन के कारण संविदा से उद्भूत जोखिम अभिप्रेत है ;

(ट) "आगे की दिन की संविदा" से ऐसी संविदाएं अभिप्रेत हैं जहां संव्यवहार (टी) दिन को किए जाते है तथा ऊर्जा का परिदान अगले दिन (टी + 1)

को किया जाता है तथा जिसकी अनुसूची राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी जाती है ।

(ठ) "व्युत्पन्नी संविदा" से ओटीसी बाजार या एक्सचेंज में संव्यवहार की गई विद्युत संविदा अभिप्रेत है और जो विद्युत में अंडरलाइनिंग आस्ति से अपने मूल्यों को व्युत्पन्न करती है (अर्थात् आगे के दिन की विद्युत संविदा या अन्य तत्काल बाजार संविदा या अन्य संदर्भ सूचकांक);

(ढ) "विद्युत व्यापारी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (26) के अधीन हैं ।

(ड.) "एक्सचेंज" से पावर एक्सचेंज और अन्य एक्सचेंज अभिप्रेत हैं ;

(ण) "इंटरा-डे संविदा/आकस्मिक संविदा" से ऐसी संविदाएं अभिप्रेत हैं जहां संव्यवहार आगे के दिन के संव्यवहार बंद होने के पश्चात् (I) दिन को होता है तथा विद्युत का परिदान उसी दिन (टी) या अगले दिन (टी + 1) को होता है जिनकी अनुसूची प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा की जाती है ।

(त) "भार प्रेषण केंद्र" (एलडीसी) से; यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी), प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) अभिप्रेत है;

(थ) "बाजार" से ऐसा मंच/प्लेटफार्म अभिप्रेत है जहां क्रेता तथा विक्रेता सीधे या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, के माध्यम से, या इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों (जिसमें पावर एक्सचेंज भी सम्मिलित है) के माध्यम से विद्युत या उससे संबंधित उत्पादों का क्रय या विक्रय करते हैं ;

(द) "बाजार तेजी" से पावर एक्सचेंज द्वारा स्वीकार किया गया ऐसा तंत्र अभिप्रेत है जहां बाजार में ऐसे पूर्व अवधारित (एनएलडीसी द्वारा) बोली क्षेत्रों या जोनों में पारेषण संकुलन की दशा में तेजी आती है जिसकी निकासी उनकी अपने-अपने क्षेत्रों की कीमत पर व्यष्टिक रूप से ऐसे की जाती है कि प्रत्येक बोली क्षेत्र में ऊर्जा का संतुलन व्यष्टिक बोली क्षेत्रों में मांग तथा प्रदाय के आधार पर तथा साथ-साथ विभिन्न बोली क्षेत्रों के बीच उपलब्ध पारेषण कॉरीडोर क्षमता का उपयोग करके किया जा सके;

(घ) "पावर एक्सचेंज के सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अनुसार पावर एक्सचेंज द्वारा इस रूप में स्वीकार किया गया है;

(न) "समाशोधन निगम का सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अनुसार समाशोधन निगम द्वारा इस रूप में स्वीकार किया गया है ;

(प) "सदस्य सेवा प्रभार" का वही अर्थ है जो विनियम 27 में है ;

(फ) "शुद्धधन (नेटवर्थ)" से समादत्त ईक्विटी पूंजी का कुल मूल्य तथा संचित हानियों के कुल मूल्य द्वारा घटाई गई आरक्षितियां (जिसमें पुर्नमूल्यांकन से सृजित आरक्षितियां नहीं है), अपलिखित न किए गए आस्थगित व्यय (जिसमें प्रकीण खर्चे भी है) तथा सहयुक्तों के ऋण तथा अग्रिम अभिप्रेत है ;

(ब) "आरंभिक स्थिति" से ऐसी क्रय या विक्रय स्थिति अभिप्रेत है जब संव्यवहार निष्पादित किए गए हों किंतु परिदान या वित्तीय व्यवस्थापन पूरी न की गई हो तथा जहां कोई भी व्यक्ति कीमत या क्रेडिट या प्रचालनात्मक जोखिम को स्पष्ट कर सकेगा ;

(भ) "प्रचालनात्मक जोखिम" से प्रणालियों, प्रक्रमों, तकनीकी त्रुटि या ब्रेकडाउन, तकनीकी कारणों से ऊर्जा की गैर-अनुसूचीकरण के कारण संविदा से उद्भूत जोखिम अभिप्रेत है;

(य) "अन्य एक्सचेंज" से विनियम 3 (iii) के अर्थांतर्गत पावर एक्सचेंज के सिवाय ऐसे एक्सचेंज अभिप्रेत हैं जहां विनियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं का संव्यवहार किया जाता है;

(र) "ओवर दि काउंट (ओटीसी)" का वहीं अर्थ होगा जो विनियम 3 के खंड (i) में है;

(कक) "स्थिति" से एक्सचेंज या ओटीसी बाजार के भागीदार की विक्रय या क्रय कार्रवाई के परिणामस्वरूप उद्भूत वित्तीय तथा वस्तुगत स्थिति अभिप्रेत है ;

(खख) "कीमत जोखिम" से संविदा की अवधि के दौरान संविदा/आस्ति की कीमत में परिवर्तन के कारण संविदा में उद्भूत जोखिम अभिप्रेत है ;

(गग) 'पावर एक्सचेंज ' से इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक्सचेंज अभिप्रेत है;

(घघ) 'आरक्षितियां ' से मूल शेयर पूंजी के सिवाय, शेयरधारकों की ईक्विटी का कोई भाग अभिप्रेत है ;

(ड.ड.) 'सुरक्षित नकद विनिवेश ' से हाथ नकदी, नकद के समकक्ष (नकद समकक्षी अल्पकालिक हैं, उच्च नकद विनिवेश, जो नकद रकम में तुरंत संपरिवर्तित की जाती है और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अध्यधीन होती है) तथा बैंकों में मांग जमा से युक्त नकद आस्तियों में विनिवेश अभिप्रेत है ;

(चच) 'व्यवस्थापन गारंटी निधि (एसजीएफ) ' से पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम द्वारा अनुरक्षित ऐसी निधि अभिप्रेत है जिसका उपयोग ऐसे सदस्यों के व्यतिक्रमों का निपटान करने के लिए किया जाता है जो पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम के व्यतिक्रम निवारण तंत्र में विहित है तथा इसमें निधियों के ऐसे कोई भी स्रोत सम्मिलित हो सकेंगे जैसा समय-समय पर आयोग के पूर्व अनुमोदन से, पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम द्वारा अवधारित किया जाए ;

(छछ) 'व्यवस्थापन ' से एक्सचेंज पर किए गए संव्यवहार के परिणामस्वरूप, सदस्यों की बाध्यताओं का निर्वहन करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(जज) 'अल्प-कालिक बाजार ' से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए संविदाओं सहित बाजार अभिप्रेत है ;

(झझ) 'तत्काल बाजार ' से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जहां विद्युत का वस्तुगत परिदान या तो संव्यवहार (टी) की तारीख के रूप में उसी दिन या अगले दिन (टी + 1) को किया जाता है ;

(ञञ) 'आगे की अवधि का बाजार ' से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जहां विद्युत का वस्तुगत परिदान संव्यवहार (टी) की तारीख से एक से अधिक (टी + 2 या उससे अधिक) आगे की तारीख को किया जाता है तथा ऐसे बाजार में संविदाओं का संव्यवहार साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक या अग्रिम में किया जाता है तथा संविदा की समाप्ति पर परिदान अवधि को निर्धारित किया हो और जिसका अनुसूचीकरण प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाता है ।

(ii) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय तथा जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो या विषय वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों के अधीन परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में है ।

भाग - 2

विनियम का विस्तार तथा लागू होना

3. ये विनियम विद्युत से संबंधित ओटीसी बाजार तथा एक्सचेंज बाजार को लागू होंगे, और जहां --

(i) ओवर दि काउंटर बाजार - ओवर दि काउंटर बाजार अंतर-राज्यिक बाजार है जहां क्रेता तथा विक्रेता प्रत्यक्षतः संव्यवहार करते हैं या विद्युत व्यापारी के माध्यम से संव्यवहार करते हैं, तथा जहां संविदा की कीमत तथा निबंधन का अवधारण ऐसी बातचीत, जो पक्षकारों के बीच तय की जाती है या प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से या विद्युत व्यापारी के माध्यम से किया जाता है । ऐसे बाजारों में निष्पादित संविदाओं के जोखिम, यथास्थिति, स्वयं पक्षकारों द्वारा या अनुज्ञप्त व्यापारियों के बीच तय किए जाते हैं ।

(ii) पावर एक्सचेंज बाजार - पावर एक्सचेंज बाजार वह बाजार है जहां क्रेता, विक्रेता, विद्युत व्यापारी, पावर एक्सचेंज के सदस्य मानकीकृत संविदाओं पर संव्यवहार करते हैं तथा पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम ऐसी संविदाओं के प्रतिरूप हैं तथा अन-नुसूचीकरण प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाता है जब तक इसके साथ वास्तविक परिदान नहीं किया जाता है ।

(iii) अन्य एक्सचेंज बाजार - अन्य एक्सचेंज ऐसा बाजार है जहां विद्युत की व्युत्पन्नी संविदाएं, संविदाएं या उसके संबंधित उत्पादों का संव्यवहार ऐसे मानकीकृत संविदा विनिर्देशों पर किया जाता है जहां एक्सचेंज या समाशोधन निगम ऐसी संविदाओं के प्रतिरूप हो ।

4. ये विनियम निम्नलिखित प्रकार की संविदाओं को लागू होगें :

(i)ओटीसी बाजार में परिदान आधारित अल्प-कालिक संविदाएं -

(क) क्रेता तथा विक्रेता के बीच प्रत्यक्षतः ओटीसी संविदाएं - ऐसे अंतर-राज्यिक संव्यवहार, जिसमें क्रेता तथा विक्रेता संविदा करते हैं और संविदा की कीमत तथा अन्य निबंधन का विनिश्चय बातचीत या प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं ।

(ख) विद्युत व्यापारी के माध्यम से ओटीसी संविदाएं -

I. बैक-टू-बैक सौदा - ऐसे अंतर-राज्यिक संव्यवहार, जिनमें विद्युत व्यापारी एक पक्षकार से किसी विशिष्ट अवधि के लिए ऊर्जा की विनिर्दिष्ट मात्रा का क्रय करता है तथा उसके ठीक बाद उसे उसी निबंधनों तथा शर्तों पर किसी दूसरे पक्षकार को बेच डालता है । ऐसे संव्यवहार किसी कीमत जोखिम के लिए व्यापारी को जोखिम में नहीं डालते हैं । यह व्यापारी को क्रेडिट जोखिम तथा प्रचालनात्मक जोखिम में डाल सकता है ।

II. आरंभिक स्थिति सहित सौदा - ऐसा अंतर-राज्यिक संव्यवहार है जिसमें विद्युत व्यापारी कीमत के आधार पर या अन्य कारकों की दृष्टि से, ऊर्जा का क्रय या विक्रय संविदा करते हैं तथा ऐसी रणनीति अपनाते हैं जो वह ठीक समझें ।

दृष्टांतः विद्युत व्यापारी ए संविदागत कीमत पर दीर्घ-कालिक अवधि के लिए ऊर्जा का क्रय करता है तथा विभिन्न समयों पर विभिन्न कीमतों पर ट्रांचेज में बी, सी डी को ऊर्जा बेचते हैं ।

III. संकलित प्रदायकर्ता/क्रेताओं से संविदा करते हैं तथा उसे एक से अधिक क्रेताओं/विक्रेताओं को बेचते हैं ।

(ii) ओटीसी बाजार में संव्यवहार की गई वित्तीय रूप से तय व्युत्पन्नी संविदाएं - यह वह संविदा है जो अंडर लाइनिंग आस्तियों (अर्थात् आगे के दिन की विद्युत संविदा या अन्य तत्काल बाजार संविदा या अन्य संकर्म सूचकांक) से अपने मूल्य को व्युत्पन्न करती है । संविदा कीमत को संव्यवहार के समय नियत किया जाता है । अंतिम वित्तीय निपटान कीमत संविदा की समाप्ति पर अंडर लाइनिंग आस्ति की तत्काल कीमत पर आधारित होती है । ये संविदाएं व्युत्पन्नी संविदाएं, स्वैप तथा अन्य संरचित संविदाएं आदि हो सकती हैं ।

(iii) एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई परिदान आधारित संविदाएं -

(क) अंतरा-दिन संविदा/आकस्मिक संविदा
(ख) आगे की दिन की संविदा
(ग) आगे की अवधि की संविदा

(iv) एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई वित्तीय रूप से तय विद्युत व्युत्पन्नी संविदाएं यह ऐसी संविदा है जो अंडरलाइनिंग आस्ति (अर्थात् आगे के दिन की विद्युत संविदा या अन्य तत्काल बाजार संविदा या अन्य संदर्भ सूचकांक) से अपने मूल्य को व्युत्पन्न करती है । संविदा कीमत संव्यवहार के समय नियत की जाती है । अंतिम वित्तीय निपटान कीमत तथा संविदा की समाप्ति पर अंडरलाइनिंग आस्ति की तत्काल कीमत के आधार पर होती हैं । ये संविदाएं भावी संविदा तथा अन्य मानकीकृत संविदाएं आदि हो सकती हैं :

(v) नवीकरणीय स्रोतों, अर्थात् पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार किए गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) से उत्पादित विद्युत के साथ जुड़ी कोई अन्य संविदाएं ।

(vi) क्षमता से संबंधित क्षेत्रों, ऊर्जा कीमत सूचकांक और विद्युत से संबंधित अन्य क्षेत्रों में कोई नई संविदा ।

(vii) क्षमता संविदाएं - ये ऐसी संविदाएं हैं जहां उत्पादन केंद्र की क्षमता को अग्रिम में बुक किया जाता है तथा विद्युत प्रेषण करने के लिए उत्पादक की अपेक्षा के अधिकार के साथ प्रतिफल क्रेताओं द्वारा संदत्त किया जाता है जब कभी ऐसे क्रेता द्वारा संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय अपेक्षा की जाए । इनका संव्यवहार ओटीसी बाजार और/या एक्सचेंजों या दोनों पर किया जा सकता है ।

(viii) आनुषंगिक सेवा संविदाएं - ये संविदाएं आनुषंगिक सेवाओं के लिए हैं । ऊर्जा प्रणाली (या ग्रिड) प्रचालन में आनुषंगिक सेवाएं ग्रिड की ऊर्जा क्वालिटी, विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, अर्थात आगामी भार की रिएक्टिव ऊर्जा सहायता, ब्लैक स्टार्ट आदि, आवश्यक सहायक सेवाएं हैं ।

5. ये विनियम सभी बाजार भागीदारों को लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है -

(i) ग्रिड संयोजित इकाईयां कितु जो उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारियां, ऐसे उपभोक्ता सम्मिलित है, जिन्हें निर्बाध पहुंच प्रदान नहीं की गई है ;

(ii) व्यापार व्यापारी ;

(iii) आयोग द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंज तथा समाशोधन निगम;

(iv) पावर एक्सचेंज का सदस्य ;

(v) समाशोधन निगम का सदस्य ;
(vi) अन्य एक्सचेंज ; तथा
(vii) कोई अन्य संव्यवहार करने वाले पक्षकार ।

भाग 3

आयोग द्वारा संविदाओं का अनुमोदन/निलंबन

6. आयोग एक्सचेंज पर संव्यवहार करने के लिए इस निमित्त किए गए आवेदन पर इन विनियमों के भाग 2 में यथा विनिर्दिष्ट संविदाओं को आरंभ करने की अनुज्ञा दे सकेगाः

परंतु यह कि अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा ऐसी संविदाओं को लागू नहीं होगी जिनका संव्यवहार आयोग के अनुमोदन से इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को पावर एक्सचेंज पर किया जाता हैः

परंतु यह और कि विद्युत व्यापारी को इन विनियमों के अधीन कोई अनुमोदन अभिप्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी किंतु वे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करेंगे और उसके विनियम 59 (iii) में यथा विनिर्दिष्ट व्यापार रिपोर्ट करने की अपेक्षा का पालन करेंगे ।

7. (1) विनियम 6 के अधीन अनुज्ञा चाहने वाला एक्सचेंज पूर्ण तथा विस्तृत संविदा विनिर्देश आयोग को प्रस्तुत करेंगे ।

(2) आयोग, विनियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सचेंज को ऐसा प्राधिकार प्रदांन करने से पूर्व, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, ऐसी संविदाओं के अन्य पैरामीटरों, जो समुचित समझे जाएं, की समीक्षा करेगाः-

(i) संविदा का प्रकार (आगे के दिन, आवधिक दिन आदि) ;
(ii) कीमत प्रकटीकरण पद्धति तथा प्रस्तावित मैचिंग नियम ;
(iii) संव्यवहार अवधि जब संव्यवहार आरंभ किया जाएगा तथा किस अवधि के लिए परिदान करने से पूर्व संव्यवहार जारी रहेगा ;
(iv) जोखिम प्रबंधन तंत्र -

(क) मार्जिनिंग तंत्र ;
(ख) अंतिम कीमत परिनिर्धारण तंत्र

(v) (क) परिदान तंत्र
(ख) परिदान अवधि - अंतः दिन, दैनिक, सप्ताह, मास, विशिष्ट समय या वर्ष के लिए है ।

(vi) संविदागत विचलन के लिए शास्ति (आगे की अवधि के बाजार के लिए)
संविदागत विचलन क्रमशः संविदागत विद्युत की तत्स्थानी ऊर्जा तथा अंतःक्षेपण के स्थान पर क्रेता/विक्रेताओं द्वारा वास्तविक अनुसूचित ऊर्जा के बीच अंतर हैः

परंतु यह और कि किसी नई प्रकार की संविदा के अनुमोदन के पश्चात् पूर्ण संविदा विनिर्देशों को आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । तत्पश्चात्, उपरोक्त उल्लिखित पैरामीटरों से भिन्न विनिर्देशों में उपांतरण को स्वयं एक्सचेंज द्वारा उक्त उपांतरणों को प्रभावी करने के सात दिन के भीतर आयोग को सूचना देते हुए, किया जा सकता है ।

8. इन विनियमों में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार की संविदा नहीं करेगा या संव्यवहार नहीं करेगा जब तक कि इस निमित्त जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग द्वारा इस प्रकार आरंभ करने की अनुज्ञा नहीं दे दी जाती है -

(i) व्युत्पन्नी संविदाएं ;
(ii) आनुषंगिक सेवा संविदाएं ;
(iii) क्षमता संविदाएं ;

परंतु यह कि आयोग विद्युत की युक्तियुक्त कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए तथा बाजार में नकदी तथा अस्थिरता, मांग आपूर्ति स्थिति तथा अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस निमित्त अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ऐसी संविदाओं की अनुज्ञा देगा ।

9. यदि आयोग की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, यथास्थिति, किसी संविदा पर संव्यवहार को निलंबित कर सकेगा या बाजार या एक्सचेंज से किसी संविदा को प्रत्याहृत कर सकेगा ।

भाग - 4

बाजार तथा बाजार डिजाइन के सिद्धांत

10. पावर एक्सचेंज निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्य करेगा:-

(i) उचित, निष्पक्ष, दक्ष तथा संतुलित कीमत प्रकटीकरण को सुनिश्चित करेगा;
(ii) व्यापक तथा शीघ्र कीमत विकीर्णन प्रदान करेगा ;
(iii) मानकीकृत संविदाओं की डिजाइन करेगा तथा ऐसी संविदाओं में नकदी बढ़ाने का प्रयास करेगा ।

स्पष्टीकरणः - नकदी संव्यवहार की गई संविदा के बाजार कीमत में अल्पतम प्रभाव के साथ संव्यवहार में प्रवेश करने या उसमें बने रहने का सुगम उपाय है ।

11. पावर एक्सचेज आगे के दिन के बाजारों की दशा में, निम्नलिखित बाजार डिजाइन को स्वीकार करेंगे:-

क. कीमत प्रकटीकरण

(i) उच्चतम सामाजिक कल्याण के मितव्ययी सिद्धांत तथा कीमत प्रकटीकरण के दौरान साथ-साथ विक्रेता तथा क्रेता अधिशेष का सृजन ।
(ii) बोली तंत्र आगे के दिन के आधार पर दो तरफा बंद बोली नीलामी होगी ।
(iii) अनवरूद्ध बाजार के लिए कीमत प्रकटीकरण ऐसे सभी विक्रेताओं तथा क्रेताओं के लिए एक समान बाजार समाशोधन कीमत होगी;
(iv) पारेषण कॉरीडोर में संकुलन की दशा में, बाजार उछाल तंत्र को स्वीकार किया जाएगा ।
(v) ऊर्जा का परिदान/निकासी प्रादेशिक बीमा पर किया जाएगा ।

ख. परिदान प्रक्रिया

(i) पावर एक्सचेंज में भागीदार, पावर एक्सचेंज में भाग लेने से पूर्व अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केंद्रों, यदि लागू हो, की सहमति से, सहमति, पूर्व स्थायी निकासी या अनापत्ति' लेगा ;

(ii) पारेषण प्रभारों तथा पारेषण हानियों को समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार जारी सामूहिक संव्यवहारों का अनुसूचीकरण (निर्बाध-पहुंच) की प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा ।

(iii) आगे के दिन के बाजार में संविदाओं का वस्तुगत परिदान आवश्यक है तथा यह व्यापार करने वाले भागीदारों पर आबद्धकर होगा ।

(iv) पावर एक्सचेंज पर संविदाओं की अनुसूचीकरण तथा परिदान प्रणाली प्रचालक के समन्वय और समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 तथा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार किया जाएगा । प्रचालनात्मक ब्यौरे समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार जारी सामूहिक संव्यवहारों के अनुसूचीकरण (निर्बाध पहुंच) की प्रक्रिया के अनुसार होंगे ।

(v) पावर एक्सचेंजों को पारेषण कारीडोर का आबंटन आयोग के निदेशानुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाएगा ।

12. ओटीसी बाजारः - संव्यवहार के निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा:-

(i) ओटीसी बाजार क्षेत्र के भागीदारों का साधारण समाधान करेगा तथा बाजार में नवीनता लाने का प्रयास करेगा ।

(ii) ग्राहक को बेची जाने वाली संविदाएं उपयुक्तता, समुचितता तथा संविदा कीमत की पूर्ण सामग्री प्रकटीकरण, उसके जोखिम तथा संविदा करने वाले पक्षकारों के प्रभाव पर आधारित होगी ।

13. वस्तुगत बाजार डिजाइन ऊर्जा प्रणाली की पूर्ण सुरक्षा तथा विश्वस्तता होनी चाहिए तथा किन्हीं भी परिस्थितियों में बाजार तंत्र को ग्रिड सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए ।

भाग - 5
पावर एक्सचेंज

14. किसी भी पावर एक्सचेंज का प्रचालन इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगाः

परंतु यह कि ऐसे पावर एक्सचेंज, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को आयोग द्वारा अनुमोदन/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया हो, वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार के अधीन रहते हुए, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाएंगे:

परंतु यह और कि कार्य कर रहे पावर एक्सचेंज इन विनियमों के अनुरूप करने के लिए अपनी उप-विधियों, नियमों तथा व्यवसाय नियमों में परिवर्तन करेंगे तथा उन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर आयोग में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे:

परंतु यह भी कि विद्यमान अनुमोदित उप-विनियम, नियम तथा कारबार नियम तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक आयोग पुनरीक्षित उप-विधियों, नियमों तथा कारबार नियमों को अनुमोदित नहीं कर देता है:

परंतु यह और कि विद्यमान अनुमोदित उपविधियों, नियमों तथा कारबार नियमों में की गई कोई बात या किए जाने के लिए आशयित कोई कार्रवाई जहां तक वह इन नियमों के उपबंधों के असंगत हो, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई तथा किए जाने के लिए आशयित समझी जाएगी ।

15. पावर एक्सचेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

(i) क. कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत पब्लिक कंपनी के रूप में शेयर समामेलित करके कोई लिमिटेड कंपनी ;

ख. कंपनियों का ऐसा कोई परिसंघ, जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थांगत पब्लिक कंपनी के रूप में शेयरों को समामेलित विशेष प्रयोजन व्हैकिल (एसपीवी) के माध्यम से पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए स्वयं के बीच करार किया हो:

परंतु यह कि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया तब आरंभ की जाएगी यदि परिसंध, परिसंध के सदस्यों के बीच किए गए ऐसे करार की प्रति प्रस्तुत करते हुए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है किंतु रजिस्ट्रीकरण केवल तब किया जाएगा जब परिसंध ने यथापूर्वोक्त एसपीवी समामेलित किया हो ।

(ii) आवेदक कंपनी का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक रूप से पावर एक्सचेंज स्थापित करना तथा उसे प्रचालित करने का होगा तथा आनुषंगिक उद्देश्य आयोग के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा क्षेत्र और उसकी आनुषंगियों से संबंधित अन्य कारबार करना हो सकेगा:

परंतु यह भी कि ऐसी कंपनी प्रत्येक अन्य कारबार के लिए पृथक लेखा बहियों को बनाए रखेंगी और ऐसा कारबार लोक हित के प्रतिकूल नहीं होगा ।

16. आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया

(i) पावर एक्सचेंज स्थापित करने और चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

(कारबार का संचालन) विनियम, 1999 के अनुसार आयोग के समक्ष याचिका के रूप में फाइल किया जाएगा ।

(ii) आवेदक के प्रमुख ब्यौरे, प्रस्तावित संव्यवहार प्लेटफार्म तथा उस वेबसाइट के पते, जहां पूर्ण आवेदन को देखा जा सकता है, को आवेदन करने के सात दिन के भीतर, कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों, जिसमें एक इकनोमिक दैनिक समाचारपत्र भी है, के सभी संस्करणों में तीस दिन की अवधि तक पब्लिक से आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा ।

(iii) फाइल किए गए आवेदन तथा आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी को समाचार-पत्रों में नोटिस के प्रकाशन की तारीख से न्यूनतम 30 दिन की अवधि के लिए आवेदक की वेबसाइट पर डाला जाएगा या रखा जाएगा ।

(iv) आवेदक समाचार-पत्र में अपने प्रकाशन के 45 दिन के भीतर सार्वजनिक नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों का उत्तर फाइल करेगा ।

(v) आयोग आवेदक द्वारा प्रकाशित सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों तथा उसके उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का प्रस्ताव कर सकेगा ।

(vi) जब आयोग रजिस्ट्रीकरण का प्रस्ताव करता है, वह उसके प्रस्तावों पर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में अपने प्रस्तावों की सूचना प्रकाशित करेगा, जैसा वह समुचित समझे, जिसमें उस व्यक्ति का नाम तथा पता दिया जाएगा जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है तथा ऐसे अन्य ब्यौरे भी सम्मिलित होंगे जैसा आयोग समुचित समझे ।

(vii) प्राप्त और आपत्तियों या सुझावों तथा उस पर आवेदक के उत्तर पर विचार पर, आयोग रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा यदि आवेदन अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है:

परंतु यह कि जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी आवेदन को रद्द नहीं किया जाएगा ।

17. पावर एक्सचेंज स्थापित करने और प्रचालित करने वाला व्यक्ति अपने आवेदन के साथ आयोग को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

(i) आवेदन करने वाली कंपनी का संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद ;

(ii) कंपनियों के परिसंघ की दशा में, पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए परिसंघ के सदस्यों के बीच औपचारिक करार प्रस्तुत किया जाएगा;

(iii) परिसंघ सदस्यों के विद्यमान कारबार के ब्यौरे;

(iv) पिछले तीन वर्षों के लिए एक विस्तार तक लागू आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट और/या संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां ;

(v) निम्नलिखित ब्यौरों से युक्त परियोजना रिपोर्टः

(क) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज का गठन;

(ख) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज के निधियन का स्रोत;

(ग) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज का प्रबंध तथा प्रशासनिक संरचना;

(घ) पावर एक्सचेंज द्वारा अर्जित किए जाने के लिए उपलब्ध/प्रस्तावित अवसंरचनात्मक प्रसुविधाएं;

(vi) साधारणतया प्रस्तावित पावर एक्सचेंज से संबंधित प्रस्तावित पावर एक्सचेंज का प्रारूप नियम तथा विशिष्टितया, जो निम्नलिखित से संबंधित हो; -

I. पावर एक्सचेंज का निदेशक-बोर्ड, उसका गठन तथा शक्तियां ;

II. पावर एक्सचेंज का प्रबंधन तथा वह रीति जिसमें उसके कारबार का संव्यवहार किया जाना है ;

(vii) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज की प्रारूप उप-विधियां जिसमें विनियम 24 में विनिर्दिष्ट पहलु सम्मिलित हों ।

18. पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए प्रज्ञावान संनियम

(i) पावर एक्सचेंज के पास हमेशा न्यूनतम 25 करोड़ का नेटवर्थ होगाः

परंतु यह कि पावर एक्सचेंज हमेशा उपरोक्त नेटवर्थ को बनाए रखेगा तथा यदि पावर एक्सचेंज द्वारा क्रेताओं/विक्रेताओं को किए गए संदाय में व्यतिक्रम, जिसमें एसजीएफ का उपयोग भी सम्मिलित है, ऋण के कारण उसमें कोई कमी होती है तथा जिससे नेटवर्थ पर प्रभाव पड़ा हो तो पावर एक्सचेंज तत्काल उपरोक्त कमी की तारीख से 3 मास के भीतर उपरोक्त नेटवर्थ मानदंडों का अनुपालन करने के लिए अपने नेटवर्थ में वृद्धि करेगाः

परंतु यह कि जब कभी पावर एक्सचेंज समाशोधन निगम से अपने समाशोधन कृत्यों को पृथक् करता है तो उसे न्यूनतम 5 करोड़ रुपए के नेटवर्थ की आवश्यकता होगीः

परंतु यह कि आयोग, समय-समय पर, आदेश द्वारा, नेटवर्थ मानदंडों का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

(ii) आवेदक के लिए, माना जाने वाला नेटवर्थ उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में न्यूनतम होगा, जिसमें आवेदन किया जाता है या ऐसी कम अवधि जिसके दौरान आवेदक को समामेलित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित किया गया है तथा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ विशेष तुलन पत्र की तारीख को होगा ।

(iii) कार्य कर रहे पावर एक्सचेंज का नेटवर्थ अंतिम संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार होगा;

(iv) समझौता गारंटी निधि (एसजीएफ)

(क) पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम सुरक्षित विनिवेशों में ही एसजीएफ के आगमों का विनिधान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि मूल रकम जोखिम में नहीं है । 50% एसजीएफ आगमों को सुरक्षित लिक्विड विनिवेशों में रखा जाएगा ।

(ख) पावर एक्सचेंज द्वारा एसजीएफ विनिवेश विवरणियों को उनके द्वारा निधि को बनाए रखने तक प्रतिधारित किया जाएगा । समाशोधन निगम के एकत्रित करने (हिव आफ) की दशा में, एसजीएफ विनिधान विवरणियां समाशोधन निगम द्वारा प्रतिधारित की जाएंगी ।

(ग) एसजीएफ के उपयोग के सिद्धांतों तथा पद्धतियों को पावर एक्सचेंज के सदस्यों को पावर एक्सचेंजों की उपविधियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से संसूचित किया जाएगा ।

(घ) यथास्थिति, पावर एक्सचेंज की वार्षिक रिपोर्ट या समाशोधन निगमों की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय एसजीएफ के विनिवेश के ब्यौरों को वार्षिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ङ.) पावर एक्सचेंजों पर वित्तीय व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए यथा-अपेक्षित पावर एक्सचेंजों तथा समाशोधन निगमों के लिए अतिरिक्त प्रज्ञावान संनियम और एसजीएफ को आदेश द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा तथा इन्हें एक बार अधिसूचित किए जाने पर, उनके निबंधनों का अनुपालन किया जाएगा ।

19. पावर एक्सचेंज का शेयरधारण पैटर्नः

(1) पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारकों के लिए शेयरधारण पैटर्न निम्नानुसार होगाः

(i) पावर एक्सचेंज के सदस्य से भिन्न शेयरधारक के पास पावर एक्सचेंज में अधिकतम 25% शेयर (प्रथमतः या अप्रत्यक्षतः) हो सकेंगे ।

(ii) पावर एक्सचेंज के सदस्य के पास पावर एक्सचेंज में अधिकतम 5% शेयर (प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः) हो सकेंगे ।

(iii) पावर एक्सचेंज में पूर्णतः ऐसी इकाईयों, जो पावर एक्सचेंज की सदस्य हैं, के स्वामित्वाधीन उसके कुल शेयरधारकों (प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः) का अधिकतम 49% हो सकेंगे ।

स्पष्टीकरण 1 - "अप्रत्यक्ष" से ऐसा सहयुक्त अभिप्रेत है जहां सहयुक्त, -

(i) ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक के मताधिकार का छब्बीस प्रतिशत से अन्यून शेयर है या उन पर नियंत्रण है ; या

(ii) उस व्यक्ति के, जिसके संबंध में, पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक के पास मताधिकार के छब्बीस प्रतिशत से अन्यून शेयर है या उन पर नियंत्रण है ; या

(iii) ऐसा व्यक्ति जो इसी प्रबंधन में है जिसमें शेयरधारक पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने का आशय रखता है ।

स्पष्टीकरण-2: सहयुक्त को उसी प्रबंधन के अधीन समझा जाएगा. ।

(i) यदि पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक का प्रबंध-निदेशक या प्रबंधक सहयुक्त का प्रबंध-निदेशक या प्रबंधक है ; या

(ii) यदि पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक के निदेशकों का बहुमत है या ठीक पूर्ववर्ती किसी समय छह मास के भीतर सहयुक्त के निदेशकों का बहुमत है ; या

(iii) यदि पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक से संबंधित किसी मामले के संबंध में कुल मताधिकार शक्ति के एक तिहाई से अन्यून है और सहयुक्त उसी व्यक्ति या निगमित निकाय द्वारा प्रयोक्तव्य या नियंत्रण है ; या

(iv) यदि ऐसे शेयरधारक के अधिक शेयर धारण करते समय पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक का कोई भी निदेशक सहयुक्त में बहुमत में शेयर धारण करता है ।

(2) शेयरधारण पैटर्न की रिपोर्ट समय-समय पर, आयोग को की जाएगी ।

20. विनियम 19 में किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व प्रदान किया गया अनुमोदन या सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदत्त किए गए पावर एक्सचेंज इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर विनियम 19 में यथाविनिर्दिष्ट शेयरधारण संरचना/पैटर्न को सुनिश्चित करेगा ।

21. पावर एक्सचेंज में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाना

(i) आयोग ऐसी जांच, जो इस निमित्त आवश्यक समझें जाएं, करने के पश्चात् ऐसी और जानकारी, जो अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करने के पश्चात् पावर एक्सचेंज स्थापित करने तथा प्रचालन करने के लिए ऐसी शर्तों, जो ठीक समझी जाएं, के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा ।

(ii) पावर एक्सचेंज का रजिस्ट्रीकरण, जब तक ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रत्याहृत या रद्द नहीं किया जाता हैं, प्रचालन के प्रारंभ की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा ।

(iii) उपरोक्त खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, आयोग इस निमित्त फाइल किए गए आवेदन के आधार पर 25 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कर सकेगा:

परंतु यह कि नवीकरण के लिए आवेदन आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पांच वर्ष पूर्व किया जाएगा ।

22. पावर एक्सचेंज का स्वामित्व तथा शासित संरचना

(i) स्वामित्व, प्रबंधन/प्रचालन तथा व्यापार में भागीदारी के बीच स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा ।

(ii) स्वतंत्र निदेशक - बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य या न्यूनतम दो निदेशक, जो भी अधिक हो, पावर एक्सचेंज द्वारा गठित पैनल में चयनित तथा आयोग द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र निदेशक होंगे जिनमें से एक व्यक्ति के पास वित्त में शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव होगी । पैनल शिक्षाविदों, वृत्तिकों, उद्योग प्रतिनिधियों, सुविज्ञात व्यक्तियों से गठित किया जाएगा । उनमें से किसी भी व्यक्ति की पावर एक्सचेंज के किसी व्यापार करने वाले सदस्य के साथ हित नहीं होना चाहिए और किसी शेयरधारक के साथ कोई न्यासी संबंध नहीं होना चाहिए ।

(iii) बोर्ड की कुल संख्या कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबधों के अनुसार होगी ।

(iv) निदेशक बोर्ड के एक चौथाई सदस्य पावर एक्सचेंज के व्यापार करने वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(v) बोर्ड मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक को नियुक्त कर सकेगा जो पावर एक्सचेंज के दिन-प्रतिदिन के कार्य को चलाने के लिए उत्तरदायी होगा । प्रबंध निदेशक पर्याप्त अर्हता के साथ एक वृत्तिक होगा तथा उसके पास सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होगा ।

(vi) पावर एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक या दिन-प्रतिदिन के कार्यो का भार-साधक निदेशक या कोई भी कर्मचारी पावर एक्सचेंज के किसी व्यापार करने वाले सदस्य के साथ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या पावर एक्सचेंज के ग्राहक का भागीदार या उसकी धारक या समनुषंगी कंपनी के साथ सहयुक्त नहीं होगा ।

(vii) पावर एक्सचेंज द्वारा किसी भी ऐसे परामर्शक या सलाहकार की सेवाएं ली जा सकती हैं जो एक्सचेंज की कीमत संवेदी जानकारी से न जुड़ा हो तथा

परामर्शक या सलाहकार तथा पावर एक्सचेंज द्वारा अन्य व्यक्तियों को दी जा रही सेवाओं के लिए आरंभ किए गए समनुदेशन के बीच कोई मतभेद न हो ।

(viii) प्रबंध-निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि पावर एक्सचेंज के सदस्यों की व्यष्टिक बोलियों की भागीदारी बोर्ड के निदेशकों के बीच नहीं है ।

(ix) ऐसे पावर एक्सचेंज, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को या उसके पूर्व आयोग द्वारा अनुमोदन या सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अनधिक अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेंगे कि विनियम 22 में यथाविनिर्दिष्ट शासित संरचना का पालन किया गया है ।

23. रजिस्ट्रीकरण प्रभार

पावर एक्सचेंज नीचे सारणी में यथा विहित वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार का संदाय करेगाः

पावर एक्सचेंज का वार्षिक टर्न ओवर (मिलियन यूनिट)	वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार (रुपए लाख में)
10,000 से ऊपर	30
10,000 तक	15
5,000 तक	5

वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार, प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक, ये प्रभार सहायक सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या संदाय आदेश के माध्यम से या आयोग के खाते में धन के इलैक्ट्रानिक अंतरण द्वारा संदेय होंगेः

परंतु यह और कि आयोग, आदेश द्वारा समय-समय पर, वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार की मात्रा का पुनर्विलोकन कर सकेगाः

परंतु यह भी कि पावर एक्सचेंज इसमें परिकल्पित किए जाने वाले अपने प्रवर्ग के कार्य के अनुसार घोषणा कर सकेगा । वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर घोषणाओं तथा वास्तविक के बीच किसी मतभेद की दशा में, वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभारों का समायोजन किया जाएगा ।

24. पावर एक्सचेंज निम्नलिखित रूप में सम्मिलित अन्य अपेक्षाओं के साथ आयोग द्वारा अनुमोदित उपविधियों तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगाः

(क) कीमत प्रकटीकरण तथा मैचिंग तंत्र ;
(ख) उसके सदस्यों के अधिकार तथा दायित्व ;
(ग) बाजार निगरानी तथा अन्वेषण ;
(घ) समाशोधन तथा निपटान प्रक्रिया ;
(ङ.) जोखिम प्रबंधन ;
(च) व्यतिक्रम तथा शास्ति तंत्र ;
(छ) संविदागत विचलनों के लिए शास्ति ;
(ज) संव्यवहार प्रभार तथा इसके अवधारण का तंत्र ;
(झ) उसके सदस्यों के ब्रोकरेज तथा कमीशन ;
(ञ) अभिलेखों तथा लेखाओं का रखरखाव ;
(ट) वार्षिक लेखाओं तथा उसके लेखा परीक्षा की तैयारी ;
(ठ) माध्यस्थम, विवाद समाधान तथा सुलहकरण ;
(ढ) शिकायत निवारण तंत्र ;
(ड) व्यापार घंटे आरंभ करना तथा बंद करना, संव्यवहार तथा निपटान कलेंडर ;
(ण) एलडीसी द्वारा अपनी अनुसूचीकरण तक प्लेटफार्म खोलने की प्रक्रिया;
(त) व्यतिक्रम को निपटने की प्रक्रिया, अर्थात, अंतिम रूप से तय किए गए संव्यवहार की अनुसूची का असफल होना,
(थ) पारेषण संकुलन से निपटने के लिए बाजार में तेजी लाने की पद्धति के ब्यौरे ; इसे प्रणाली प्रचालक/प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों के साथ इंटर-फेस डिजाइन का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया जाएगा ।
(द) विद्यमान स्कीम के ब्यौरे
(ध) सदस्यता के लिए अर्हताएं, अपवर्जन, निलंबन तथा निष्कासन ।
(न) पावर एक्सचेंज द्वारा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, राज्य भार प्रेषण केंद्र का क्षतिपूरणः

परंतु यह कि उपविधियों और नियमों को आयोग के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकेगा ।

25. पावर एक्सचेंज का प्रबंधन

(i) पावर एक्सचेंज के वरिष्ठ प्रबंधन में कम से कम दो पूर्ण-कालिक कुशल वृत्ति होंगे जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में अर्हताएं तथा अनुभव और विशेषज्ञता होः-

पद्धति	अर्हता तथा अनुभव

ऊर्जा प्रणाली प्रचालन	इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ इस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव
वित्त, वाणिज्य तथा लेखा	सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए (वित्त में) के साथ इस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ।

(ii) पावर एक्सचेंज जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक होगा जो जोखिम निवारण उपायों तथा उसके अनुपालन को मानीटर करेगा ।

(iii) पावर एक्सचेंज बाजार निगरानी समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक होगा तथा जिसमें पावर एक्सचेंज के कार्यपालक दल के सदस्य होंगे । इस समिति का कोई भी सदस्य पावर एक्सचेंज का सदस्य नहीं होगा ।

(iv) पावर एक्सचेंज अपने सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के साथ एसजीएफ प्रबंधन समिति का गठन करेगा । यह समिति एसजीएफ प्रबंधन का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होगी ।

26. पावर एक्सचेंज की सदस्यता

(i) पावर एक्सचेंज की सदस्यता निम्नलिखित तीन प्रवर्गों की होगी:

(क) ऐसा सदस्य जो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी हो, या

(ख) ऐसा सदस्य जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी हो जिसमें समझा गया अनुज्ञप्तिधारी या ग्रिड संयोजन इकाई भी हैं, या

(ग) ऐसा सदस्य, जो न तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी है और न ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी है जिसमें न तो समझा गया अनुज्ञप्तिधारी है और न ही ग्रिड संयोजित इकाई भी है ।

(ii) ऐसा सदस्य, जो न तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी है और न ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी है, जिसमें न तो समझा गया अनुज्ञप्तिधारी है और न ही ग्रिड संयोजित इकाई है, अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं ही प्रदान कर सकता है:-

(क) इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज प्लेटफार्म पर बोली लगाने के लिए आई टी अवसंरचना या कुशल कार्मिक ;

(ख) ऊर्जा कीमतों तथा बोली लगाने की रणनीति का अनुसरण करने से संबंधित सलाहकार सेवाएं (अर्थात् मौसम संबंधी जानकारी, मांग प्रदाय प्रास्थिति आदि) ;

(ग) ऊर्जा के प्रदाय के लिए अपने ग्राहकों की ओर से प्रक्रियाओं का सरलीकरण (अर्थात् राज्य भार प्रेषण केन्द्र, स्थायी समाशोधन, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र आदि के साथ समन्वय) ।

किसी भी दशा में, ऐसा सदस्य अपने ग्राहकों को कोई क्रेडिट या वित्तीय या कार्यकरण क्षमता सुविधा प्रदान नहीं करेगा ।

(iii) ऐसा सदस्य, जो विद्युत व्यापारी है, व्यापार करेगा तथा अपने स्वयं के खातों को पूरा करेगा या अपने ग्राहकों की ओर से व्यापार पूरा करेगा । इस प्रवर्ग के सदस्य अपने ग्राहकों को उधार या वित्त या कार्यकरण पूंजी सुविधा प्रदान करेंगे ।

(iv) ऐसा सदस्य जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी है, जिसमें समझा गया अनुज्ञप्तिधारी या ग्रिड संयोजित इकाईयां भी हैं, व्यापार करेगा तथा अपने स्वयं के खाते को ही पूरा करेगा ।

(v) पावर एक्सचेंज आयोग को प्रत्येक मास अपने ग्राहकों के साथ सदस्यों की विस्तृत सूची इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप के अनुसार प्रस्तुत करेगाः
परंतु यह कि आयोग आदेश द्वारा, समय-समय पर, प्ररूपों का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

(vi) व्यापार करने वाले सदस्यों के संव्यवहार में कोई भी विसंगति पाए जाने या इन विनियमों के अतिलंधन की दशा में, आयोग पावर एक्सचेंज के सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् पावर एक्सचेंज को ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का निदेश दे सकेगा । ऐसे किसी निदेश से इन विनियमों के अधीन पावर एक्सचेंज के विरूद्ध किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(vii) आयोग पावर एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक व्यापार टर्मिनलों से निपटने तथा विद्युत में व्यापार करने वाले कार्मिकों के लिए अहर्ता परीक्षण आरंभ करने का निदेश दे सकेगा ;

(viii) पावर एक्सचेंज, अपने स्व-विवेक से, पावर एक्सचेंज की सदस्यता के लिए कोई भी मानदंड अनुबद्ध कर सकेगा जिसमें शुद्ध धन, न्यूनतम आधार पूंजी/प्रतिभूति निक्षेप अपेक्षा, नकद आस्ति अपेक्षा भी सम्मिलित है ।

(ix) पावर एक्सचेंज सदस्यता अभिप्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए समर्थित दस्तावेजों को बनाए रखेगा, जिसमें पावर एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मानदंड के अनुपालन के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज भी सम्मिलित हैं तथा उसे उसकी अपेक्षा किए जाने पर आयोग को प्रस्तुत करेगा । इन दस्तावेजों को सदस्य द्वारा पावर एक्सचेंज की सदस्यता को अभ्यर्पित करने या सदस्यता जब्त किए जाने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि तक बनाए रखा जाएगा ।

(x) आयोग, आदेश द्वारा, व्युत्पन्नी संविदाओं में संव्यवहार करने के लिए कोई भी अतिरिक्त मानदंड अधिसूचित कर सकेगा ।

27. पावर एक्सचेंज में आगे के दिन तथा अवधि के आगे के बाजारों मे उसके ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सदस्य सेवा प्रभार संव्यवहार मूल्य का 0.75% से अधिक नहीं

होगा । यह उच्चतर दर संपूर्ण उच्चतर दर होगी जिसमें कोई भी अधीनस्थ सेवा प्रदाताओं के सेवा प्रभार भी सम्मिलित है:

परंतु यह कि ऐसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, जो पावर एक्सचेंज के सदस्य हैं, के लिए पावर एक्सचेंज में आगे के दिन तथा अवधि के आगे बाजार में अपने ग्राहकों के लिए सदस्य सेवा प्रभार, समय-समय पर, यथासंशोधित केविविआ (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2006 के अनुसार केवल व्यापार मार्जिन होंगे:

परंतु यह और कि आयोग, आदेश द्वारा, समय-समय पर, सदस्य सेवा प्रभार मानदंड का पुनर्विलोकन कर सकेगा:

परंतु यह भी कि आयोग, आदेश द्वारा, व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए पृथक् रूप से सदस्य सेवा प्रभारों को अधिसूचित कर सकेगा:

परंतु यह भी कि सदस्य सेवा प्रभारों में पावर एक्सचेंज उद्गृहीत कोई प्रभार, पारेषण (निर्बाध पहुंच) प्रभार, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार प्रेषण केंद्र को संदेय अन्य प्रभार, कानूनी कर, आदि सम्मिलित नहीं है ।

28. पावर एक्सचेंज द्वारा जोखिम प्रबंधन

(i) पावर एक्सचेंज बाजार के परिवर्तित जोखिम प्रोफाइलों पर आधारित प्रज्ञावान तथा गतिशील जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को विरचित करते समय अंतरराष्ट्रीय बेहतर पद्धति को स्वीकार करेगा ।

(ii) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का पुनर्विलोकन करेगी तथा प्रत्येक वर्ष के जनवरी तथा जुलाई में छह मासिक आधार पर पावर एक्सचेंज पर कार्यवाही करेगी । आरएमसी रिपोर्ट निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी । आरएमसी रिपोर्ट के साथ विषय-वस्तु पर निदेशक बोर्ड के विनिश्चय को जोखिम प्रबंधन पुनर्विलोकन प्रक्रिया के एक मास के भीतर और क्रमशः फरवरी तथा अगस्त की समाप्ति तक के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(iii) सदस्यों के जोखिम की लगातार निगरानी की जाएगी तथा जोखिम प्रबंधन की क्षमता के लिए समुचित समय पर मार्जिन एकत्रित किया जाएगा ।

(iv) सदस्य पावर एक्सचेंज द्वारा ग्रास आधारित एक्रास ग्राहकों पर मार्जिन के अधीन रहते हुए होंगे । एक जैसे बाजार में सदस्यों के विभिन्न ग्राहकों की अवस्थिति के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा ।

दृष्टांतः विद्युत व्यापारी सदस्य की दशा में, यदि उसके ग्राहक "क" ने 50 एमडब्ल्यूएच की अवस्थिति का क्रय किया है तथा उसके ग्राहक "ख" ने उसी संविदा को 50 एमडब्ल्यूएच की अवस्थिति में विक्रय किया है तो संविदा में सदस्य की क्रय अवस्थिति को 100 एमडब्ल्यूएच के रूप में लिया जाना है । संविदा के ग्राहक क की क्रय करने तथा ग्राहक ख की विक्रय करने की

अवस्थिति का योग नहीं किया जाएगा । मार्जिन संगणना के प्रयोजन के लिए सदस्यों की आरंभिक अवस्थिति को तय करने के लिए इसको जोड़ा जाएगा ।

(v) सदस्यों के पास, जहां कहीं लागू हो, प्रज्ञावान जोखिम प्रणाली तथा अपने ग्राहकों से समय पर मार्जिन एकत्रित करने की प्रणाली होनी चाहिए । सदस्यों द्वारा ग्राहकों से एकत्रित मार्जिन की मात्रा सदस्यों के विवेकानुसार तथा पावर एक्सचेंज की उपविधियों के अनुसार होगी ।

29. पावर एक्सचेंज, यदि ठीक समझा जाए पृथक् समाशोधन निगम के लिए अलग-अलग समाशोधन तथा व्यवस्थापन कृत्य बना सकेंगे । यदि पावर एक्सचेंज वित्तीय व्युत्पन्नी संविदाएं आरंभ करता है तो समाशोधन निगम आज्ञापक होगाः

परंतु यह कि आयोग, जब वह समुचित समझें, तत्काल तथा आगे की अवधि के बाजारों के लिए समाशोधन निगम स्थापित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

30. पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम पर व्यतिक्रम उपचार तंत्र

(i) किसी सदस्य को पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम के निदेश या परिपत्र द्वारा व्यतिक्रमी घोषित किया जा सकेगा, यदि

(1) वह अपनी समाशोधन या व्यवस्थापन बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ हों ; या

(2) उसने अपने कर्तव्यों, बाध्यताओं तथा दायित्वों को पूरा करने या उनका निर्वहन करने में अपनी असमर्थता स्वीकार की हो या प्रकट की हो; या

(3) वह पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम के नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के अंतर्गत उसके विरूद्ध प्रभावित क्लोजिंग-आउट के कारण नुकसानी तथा शेषधन को विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय करने में असफल या असमर्थ हो ;

(4) वह पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम को शोध्य किसी ऐसी राशि का संदाय करने में असफल रहा हो, जो समय-समय पर, उनके द्वारा विहित की जाए; या

(5) वह किसी ऐसे सदस्य को, जो ऐसी रीति से ऐसे सदस्य की व्यतिक्रम की घोषणा के समय के भीतर व्यतिक्रमी घोषित किया गया हो तथा ऐसे व्यक्ति को, जैसा पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम निर्देश दें, देय सभी धन, विद्युत तथा अन्य संबंधित आस्तियों का संदाय या परिदान करने में असफल हो ; या

(6) वह पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन यथा अधिकथित माध्यस्थम के विनिश्चय का अनुपालन करने में असफल हो; या

(7) किन्हीं ऐसी अन्य परिस्थितियों के अधीन, जैसा समय-समय पर, पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम द्वारा विनिश्चय किया जाए:

परंतु यह कि पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम अपने विवेकानुसार, यथास्थिति, पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम में व्यतिक्रमी घोषित किए जाने के लिए किसी भी अतिरिक्त मानदंड को अनुबद्ध कर सकेगा ।

(ii) यदि किसी सदस्य को व्यतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा सदस्य समाशोधन तथा व्यवस्थापन बाध्यताओं को पूरा करने में असफल हो गया है तो पावर एक्सचेंज, यथास्थिति, सदस्य या ग्राहक के निक्षेप से पारेषण प्रभारों, अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभारों के संदाय को पूर्विकता देगा । तत्पश्चात्, पावर एक्सचेंज निम्नलिखित क्रम में बाध्यताओं को दूर करने के लिए आवश्यक सीमा तक निपटान निधि और अन्य धन का उपयोग कर सकेगा:-

1) आनुषंगिक परिशोधन: - व्यतिक्रम करने वाले सदस्य या ग्राहक द्वारा अभिदाय या निक्षेप, जिसमें किसी भी रूप में मार्जिन भी है ।

2) प्रतिभूति निक्षेप का परिशोधन: - व्यतिक्रम करने वाले सदस्य द्वारा पावर एक्सचेंज को दिया गया सदस्यता निक्षेप ।

3) बीमा धन: पावर एक्सचेंज द्वारा उस रकम के लिए ली गई बीमा का ब्यौरा पावर एक्सचेंज द्वारा व्यतिक्रमी सदस्य के विरूद्ध संरक्षा के लिए समुचित समझा जाए ।

4) आरंभिक अंशदान, जो निपटान गारंटी निधि के मद्दे पावर एक्सचेंज द्वारा समुचित समझा जाए ।

5) पावर एक्सचेंज के चालू वर्ष के लाभ, जिसमें सदस्यों से एकत्रित जुर्माना, शास्ति भी सम्मिलित है ।

6) पावर एक्सचंज की आरक्षितियां ।

7) सभी सदस्यों या ग्राहकों द्वारा निपटान गारंटी निधि के मद्दे अंशदान । निपटान गारंटी निधि के मद्दे निक्षेप के अनुपात में सभी गैर-व्यतिक्रमी सदस्यों या ग्राहकों का अंशदान ।

8) पावर एक्सचेंज की ईक्विटी पूंजी ।

9) उपरोक्त निधियों के पश्चात् शेष बकाया अतिशेष बाध्यताओं को एसजीएफ में अपने अंशदान के अनुपात में सदस्यों या ग्राहकों से पूरा किया जाएगा:

परंतु यह और कि एक बार समाशोधन निगम को एकत्रित करने से व्यतिक्रम तंत्र का संचालन समाशोधन निगम द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में पावर एक्सचेंज दायी नहीं होगा ।

31. पावर एक्सचेंज की सूचना तकनीकी अवसंरचना तथा व्यापार प्रणाली निम्नलिखित का अनुपालन करेगी:

(i) पावर एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक व्यापार प्रणाली तथा संसूचना नेटवर्क का उपयोग करेगा ;

(ii) पावर एक्सचेंजों के सदस्यों द्वारा किए गए आर्डरों को पावर एक्सचेंज की आर्डर पुस्तिका में स्वीकृत किए जाने से पूर्व निधियों की उपलब्धता/जोखिम प्रबंधक प्रणाली में संपार्श्विक की पहले जांच की जाएगी । इस प्रक्रिया को समाशोधन निगम के सुनिश्चित कृत्य को पृथक् करने के पश्चात् भी जारी रखा जाएगा ।

(iii) बोलियों, प्रस्तावों के स्वचालित संपरीक्षा ट्रेल तथा आर्डरों की मैचिंग या सुविधा पर संव्यवहारों के निष्पादन को बनाए रखा जाएगा ;

(iv) कीमत प्रकटीकरण तथा बाज़ार उछाल के लिए साफ्टवेयर उपयोजन के एलगोरिथम की आयोग द्वारा एक्सचेंज की प्रक्रिया के दौरान एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों तथा कारबार नियमों को प्रस्तुत करने के साथ उसकी सच्चाई के लिए समीक्षा की जाएगी ;

(v) आयोग यादृच्छिक आधार पर कीमत प्रकटीकरण तथा बाजार की तेजी के लिए कार्य कर रहे एक्सचेंजों द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग की संपरीक्षा कर सकेगा या संपरीक्षा के लिए अभिकरण की नियुक्ति कर सकेगा । एक्सचेंज आयोग द्वारा की गई जांच परिणाम तथा दृश्यलेख प्रस्तुत करेगा ।

(vi) पावर एक्सचेंज आंकड़ों की संवीक्षा, आंकड़ों की संपूर्णता तथा प्रचालन दक्षता के लिए आवधिक आई टी प्रणाली की संपरीक्षा भी करेगा तथा अपनी रिपोर्ट वार्षिक रूप से आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

(vii) पावर एक्सचेंज आपातकालीन दशा में, आपदा प्रबंधन स्थल तथा वैकल्पिक व्यापार संविदा तैयार करेगा ।

32. परिदान प्रक्रिया

(i) पावर एक्सचेंज पर संविदा की अनुसूचीकरण और उसका परिदान समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 तथा भारतीय ग्रिड संहिता के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पावर एक्सचेंजों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण का प्रचालन, समय-समय पर, यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अधीन जारी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

(iii) विस्तृत प्रक्रिया में निम्नलिखित पहलू, यद्यपि वे सीमित नहीं होंगे, सम्मिलित होंगे:-

(क) सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए आवेदन को प्रस्तुत किया जाना तथा उस पर कार्यवाही ।

(ख) एक से अधिक पावर एक्सचेंजों के बीच उपलब्ध पारेषण मार्जिनों की हिस्सेदारी ;

(ग) सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण ;

(घ) हानियों का निरूपण ;

(ड.) वास्तविक-समय संकुलन प्रबंधन ;

(च) पारेषण प्रभार, प्रचालन प्रभार, आवेदन फीस तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तें ;

(छ) संदाय तथा संदाय में व्यतिक्रम ;

(ज) संवितरण ;

(झ) पावर एक्सचेंजों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण को प्रचालन करने से संबंधित कोई अन्य मुद्दे ।

(iv) पावर एक्सचेंज आगे के दिन के बाजार में बाजार में तेजी लाने वाले तंत्र का उपयोग करते हुए संकुलन प्रबंध तैयार करेगा । पावर बाजार आयोग के अनुमोदन से अपने स्वयं की बाजार पद्धति को विकसित कर सकता है ।

(v) निकासी स्थान पर अनुसूचित तथा वास्तविक निकासी और अंतःक्षेपण स्थान पर अनुसूचित तथा वास्तविक अंतःक्षेपण के बीच किसी भी असमानता को, जिसमें ग्रिड संयोजित इकाई के पावर एक्सचेंज पर व्यापार की गई संविदाओं के लिए अनुसूची सम्मिलित है, प्रादेशिक इकाइयों की दशा में, आयोग द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार यूआई तंत्र के अधीन ऐसी इकाइयों या अंतरा-राज्यिक इकाइयों की दशा में, संबंधित राज्य आयोग द्वारा यथा विहित किसी अन्य व्यवस्थापन प्रणाली के अधीन दूर किया जाएगा । यदि संबंधित राज्य आयोग ने कोई व्यवस्थापन प्रणाली विनिर्दिष्ट नहीं की है तो प्रादेशिक इकाई की सीमा पर अंतरा-राज्यिक इकाई के लिए अननुसूचित विनिमय दर 105% (अधिक निकासी या कम उत्पादन) तथा 95% (कम निकासी या अधिक उत्पादन के लिए) होगी ।

(vi) पावर एक्सचेंज पर आगे की अवधि के संव्यवहारों की अनुसूचीकरण समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 तथा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता और किसी अन्य सुसंगत विनियमों द्वारा शासित होगी ।

(vii) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा पावर एक्सचेंजों के बीच सभी आंकड़ों का आदान-प्रदान सुनिश्चित संचार चैनल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाएगा ।

(viii) पावर एक्सचेंज द्वारा क्षतिपूरण -

(क) पावर एक्सचेंज को यह उपबंध करना चाहिए कि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा समाशोधन सलाह सद्भावपूर्वक होगी । उपविधियों में यह भी

उपबंध किया जाएगा कि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा समाशोधन/कटौती सलाह आबद्धकर नहीं होगी तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र या किसी कारण, चाहे जो भी हो, के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा अंतिम अनुसूचियों के बीच पूरी मैचिंग की प्राप्ति के लिए अयोग्यता के कारण कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा ।

(ख) पावर एक्सचेंज, जिसमें उसके विक्रेता तथा क्रेता भी हैं, सभी समय पर प्रत्येक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक/राज्य भार प्रेषण केंद्रों को क्षतिपूरित रखेंगे तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक/राज्य भार प्रेषण केंद्रों को क्षतिपूरित, प्रतिरक्षा और सुरक्षा करने का वचनबंध करेगा तथा किसी ऐसी नुकसानी, हानियों, दावों तथा कार्रवाईयों, जिसमें किसी व्यक्ति की क्षति या उसकी मृत्यु या संपत्ति, मांग, वाद, वसूलियों, लागत तथा खर्चों, न्यायालय लागतों, अटर्नी फीस की नुकसानी भी सम्मिलित हैं, तथा संव्यवहारों से उद्‌भूत या उसके परिणामस्वरूप किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या उसकी सभी अन्य बाध्यताओं को अहानिकर रखेगा ।

(ix) पावर एक्सचेंज आयोग तथा राज्य आयोगों द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार एलडीसी, एसटीयू को पारेषण प्रभारों, अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभारों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(x) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र प्रणाली प्रचालन के हित में समुचित विनिश्चय ले सकेगा । ऐसा विनिश्चय आयोग को सूचना देते हुए किया जाएगा ।

33. पावर एक्सचेंज संकुलन रकम प्रबंधन

(i) पावर एक्सचेंज बाजार में तेजी के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमत में अंतर से उद्‌भूत संकुलन रकम निधि/पावर एक्सचेंज द्वारा एक पृथक खाते में संकुलन रकम को निहित कर सकेगा ।

संकुलन रकम को विनियामक निधि, जैसे आयोग द्वारा निदेश दिया जाए, के लिए अगले कार्यदिवस को पावर एक्सचेंज द्वारा अंतरित किए जाने वाले पृथक् खाते में बनाए रखा जाएगाः

परंतु यह कि जब तक उपरोक्त निधि को सृजित नहीं किया जाता है तब तक संकुलन रकम को राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के खाते में अंतरित किया जाएगा तथा एक बार एनएलडीसी द्वारा निधि का सृजन किए जाने पर उसे उस निधि में अंतरित किया जाएगा ।

(ii) संकुलन रकम निधि का उपयोग आयोग के निदेशों के अनुसार किया जाएगा । आयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निधि के उपयोग पर विचार कर सकेगाः-

(क) वीएआर कंपनसेंटरों, सीरीज कंपनसेंटरों तथा अन्य रिएक्टिव ऊर्जा उत्पादकों की संस्थापना ;

(ख) संकुलन अवमुक्ति के लिए सृजित अतिरिक्त पारेषण क्षमता

(ग) संकुलन कटौती के लिए ग्रिड का तकनीकी अध्ययन करने के लिए

(घ) ग्रिड में संकुलन कटौती की परियोजना-विनिर्दिष्ट की रियायती दरों पर ऋण देने के लिए वित्तीय संस्था के साथ संकुलन रकम निधि को पार्क किया जा सकेगा ।

(ङ.) क्षमता निर्माण के उपाय करना तथा पावर एक्सचेंज के भागीदारों को प्रशिक्षण देने ;

(च) पावर एक्सचेंज के भागीदारों के लिए सूचना प्रसार तंत्र को विकसित करने ।

(iii) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा पावर एक्सचेंज संकुलन रकम निधि से उपयोग के लिए उपरोक्त उल्लिखित प्रयोजनों के आधार पर विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के साथ आयोग के पास आ सकेंगे ।

34. पावर एक्सचेंज प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक आयोग को अपने संपरीक्षित तुलनपत्र के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

35. ऐसा पावर एक्सचेंज, जिसके पास अपने प्रचालन के प्रारंभ के दो वर्ष की अवधि के पश्चात् आने वाले लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए 20% से अन्यून बाजार शेयर हैं, प्रचालन बंद कर देगा या विद्यमान पावर एक्सचेंज का अगले छह माह की अवधि में विलय कर देगा । (इस प्रयोजन के लिए, बाजार आकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सभी पावर एक्सचेंजों में संव्यवहार की गई सभी संविदाओं के मिलियन यूनिट में वार्षिक टर्नओवर के रूप में परिभाषित किया जाता है):

परंतु यह कि यह विनियम तब लागू नहीं होगा, यदि केवल दो पावर एक्सचेंज प्रचालन में हों ।

36. विद्यमान स्कीमः पावर एक्सचेंज के पास रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा अपनी अनुमोदित विद्यमान स्कीम होगी जिसमें उस रीति के ब्यौरे होंगे जिसमें पावर एक्सचेंज पर वर्तमान संविदाओं को बंद किया जाएगा या पावर एक्सचेंज को बंद करने की दशा में सभी संव्यवहार की गई संविदाओं के लिए उत्तरवर्ती योजना होगी । तत्पश्चात् पावर एक्सचेंज की उपविधियों में विद्यमान स्कीम उपबंधित होगीः

परंतु यह कि इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से कार्य कर रहे पावर एक्सचेंज आयोग को एक वर्ष के भीतर अनुमोदन के लिए विद्यमान स्कीमों तथा उपविधियों को प्रस्तुत करेंगे ।

37. रजिस्ट्रीकरण का प्रत्याहरण आयोग लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों तथा पावर एक्सचेंज को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, निम्नलिखित दशाओं में पावर एक्सचेंज को दिए गए रजिस्ट्रीकरण को वापस या रद्द कर सकेगाः

(i) यदि पावर एक्सचेंज अनुदत्त रजिस्ट्रकरण के निबंधनों तथा शर्तों, यदि कोई हो, का लगातार अतिलंधन कर रहा है,

(ii) यदि पावर एक्सचेंज किसी दुराग्रही कदाचार में लगा है;

(iii) यदि पावर एक्सचेंज का नेटवर्थ किसी भी समय विनिर्दिष्ट रकम से कम हो जाता है;

(iv) यदि पावर एक्सचेंज आयोग के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ।

38. रजिस्ट्रीकरण के ऐसे प्रत्याहरण या रद्दकरण में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्याहरण या रद्दकरण के पूर्व निष्पादित संविदाएं विधिमान्य रहेंगी तथा पावर एक्सचेंज द्वारा उसके कार्य्र-निष्पादन को सुनिश्चित किया जाएगा ।

39. रजिस्ट्रीकरण के प्रत्याहरण या रद्दकरण के परिणामस्वरूप, ऐसे पावर एक्सचेंज के सदस्य पावर एक्सचेंज के सदस्य नहीं रह जाएंगे ।

40. पावर एक्सचेंज लंबित माध्यस्थम मामलों माध्यस्थम पंचाट, आकस्मिक प्रकृति, यदि कोई हो, के दायित्व/दावों से संबंधित किन्हीं दावों का निपटान तथा पावर एक्सचेंज के पास लंबित विनिवेशकर्ताओं के परिवादों/शिकायतों के लिए पर्याप्त निधियों को अपास्त करेगा ।

41. सदस्यों तथा ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण,

(i) पावर एक्सचेंज सदस्यों द्वारा उसके विरूद्ध तथा ग्राहकों द्वारा उसके सदस्यों के विरूद्ध दर्ज की गई शिकायत के ब्यौरों को अपनी वेबसाइट पर डालेंगे ।

(ii) पावर एक्सचेंज पालन किए गए अनसरित प्रतिकूल समाधान तंत्र तथा शिकायत के समाधान को भी प्रकट करेगा ।

भाग - 6
समाशोधन निगम

42. समाशोधन निगम स्थापित करने तथा प्रचालित करने की अनुज्ञा प्रदत्त करने हेतु आवेदन, समय-समय पर, यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 के अनुसार याचिका के रूप में आयोग को फाइल किया जाएगा ।

43. पात्रता मानदंड

(i) समाशोधन निगम एक पृथक् स्वतंत्र निगमित इकाई होगी ।

(ii) इसे पावर एक्सचेंज द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थांगत पब्लिक कंपनी के रूप में समामेलित किसी अन्य कंपनी द्वारा या ऐसे कंपनियों के परिसंघ, जिनका इस प्रयोजन के लिए औपचारिक करार हो, द्वारा

बनाया जा सकता है । परिसंघ द्वारा अंतिम रूप से विरचित समामेलित कंपनी को रजिस्ट्रीकृत दिया जाएगा ।

(iii) समाशोधन निगम के पास कम से कम 25 करोड़ रुपए का शुद्धधन होगाः

परंतु, आयोग, समय-समय पर, नेटवर्थ मानदंडों का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

44. समाशोधन निगम आयोग के अनुमोदन के लिए अपने नियमों तथा उपविधियों को प्रस्तुत करेगा ।

45. समाशोधन निगम पूर्ण नवाचार से कार्य करेगा, अर्थात् समाशोधन निगम प्रत्येक व्यापार के बीच स्वयं हस्तक्षेप करेगा तथा इसे दोनों के लिए या वैकल्पिक रूप से विधिक प्रतिरूप होने के कारण सभी संव्यवहारों के निपटान के लिए सशर्त गारंटी देनी चाहिए ।

46. समाशोधन निगम आवधिक समाशोधन के कृत्य तथा यथास्थिति, एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई तुरंत, आगे की अवधि तथा व्युत्पन्नी विद्युत के किसी संव्यवहार का निपटान करेगा ।

47. समाशोधन निगम का व्यतिक्रम उपचार तंत्र वैसा ही होगा जैसा विनियम 30 मे है । समाशोधन निगम अपने सदस्यता मानदंड तथा अपने सदस्यों के समाशोधन संव्यवहार के लिए सेवा प्रभारों के ब्यौरों को अपनी वेबसाइट पर डालेगा ।

48. समाशोधन निगम आयोग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ओटीसी व्यापार को भी निपटाएगा ।

49. समाशोधन निगम निधियों के आदान-प्रदान के लिए इलैक्ट्रानिक निकासी तथा निपटान प्रणाली बनाएगा ।

50. समाशोधन प्रणाली प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए बाध्यता रिपोर्टें, व्यापार रिपोर्टें, परिदान रिपोर्ट, शंकास्पद परिदान रिपोर्ट, निधि रिपोर्ट, मार्जिन रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करेगा ।

51. संबंधित पावर एक्सचेंज के एसजीएफ को समाशोधन निगम को अंतरित किया जाएगा तथा एक्सचेंज के समाशोधन निगम के इस क्रियाकलाप को हिवस् आफ करने पर इसका रखरखाव समाशोधन निगम द्वारा किया जाएगा ।

52. समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रत्यायित क्रेडिड रेटिंग अभिकरण द्वारा अपने समामेलन के छह मास के भीतर स्वयं क्रेडिट रेटिंग करेगा और उस संबंध में आयोग को सूचित करेगा । वह उसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा ।

भाग - 7
बाजार निरीक्षण

53. आयोग विनियम 55 में यथाविनिर्दिष्ट अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह निम्नलिखित परिस्थितियों में बाजार निरीक्षण या निगरानी करने तथा बाजार की संपूर्णता के लिए आवश्यक समझे : -

(i) छलसाधन या छलसाधन का प्रयास करने वाले क्रियाकलाप ;

(ii) ऐसे संव्यवहार, जो भ्रामक या प्रवंचक हो, या जिनकी भ्रामक या प्रवंचक होने की संभावना हो ;

(iii) कीमत बढ़ाने के लिए अनधिकृत सट्टेबाजी ;

(iv) किसी भी प्रकार की लिखत चुनौतियां ;

(v) किसी भी प्रकार के बाजार का दुरूपयोग ;

(vi) किसी भी व्यापार भागीदारी द्वारा बाजार की स्थिति का दुरूपयोग ।

54. हस्तक्षेप के लिए अपेक्षित अन्य परिस्थितियां

(i) आयोग, अपना यह समाधान हो जाने पर कि बाजार में नीचे उल्लिखित परिस्थितियां विद्यमान हैं या होने की संभावना है, आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे : -

(क) विद्युत की कीमतों में प्रसामान्य वृद्धि या कमी ;

(ख) विद्युत की कीमतों में अचानक या अयुक्तियुक्त उतार-चढ़ाव या अनधिकृत परिवर्तन तथा उच्च अस्थिरता ;

(ग) एक्सचेंज पर अचानक उच्च व्यापार मात्रा ।

(ii) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग लिखित में आदेश द्वारा, --

(क) बाजार में विद्युत की कीमतों पर निम्नतम या कैप अधिरोपित कर सकेगा ;

(ख) कूलिंग आफ अवधि के लिए व्यापार क्रियाकलापों को निलंबित कर सकेगा (अस्थिरता में वृद्धि की दशा में) ;

(ग) एक्सचेंज पर किसी विनिर्दिष्ट संविदा के संव्यवहार को निलंबित कर सकेगा ;

(घ) एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई संविदाओं के लिए मार्जिन में वृद्धि कर सकेगा (उच्च सट्टेबाजी की दशा में)

(ङ.) व्यापार निपटानों के लिए ही व्यापार को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(च) एक्सचेंज पर एक भागीदार की आरंभिक स्थिति को सीमित कर सकेगा;

(छ) एक्सचेंज पर बाजार की व्यापार स्थिति को सीमित कर सकेगा ।

55. कतिपय मामलों का अन्वेषण

(i) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि विनियम 49 में विनिर्दिष्ट कोई भी कारक विद्यमान हैं, किसी भी समय, लिखित में आदेश द्वारा किसी विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी सदस्य से अपने संव्यवहार क्रियाकलापों के मामलों से संबंधित लिखित जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकेगा ।

(ii) उपरोक्त उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए, आयोग किसी व्यक्ति को (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "अन्वेषण प्राधिकारी" कहा गया है) किसी विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेज के सदस्य के किसी भी क्रियाकलाप, जिसमें उसकी लेखा बहियां भी हैं; का अन्वेषण करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगा तथा ऐसे अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी अन्वेषण की रिपोर्ट आयोग के पास भेजने का निदेश दे सकेगा:

परंतु यह कि अन्वेषण प्राधिकारी, जब कभी आवश्यक हो, इस विनियम के अधीन किसी अन्वेषण में उसकी सहायता करने के प्रयोजन के लिए किसी संपरीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा:

परंतु यह और कि अन्वेषण प्राधिकारी ऐसे निरीक्षण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के सदस्य को देगा ।

(iii) विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी सदस्य का प्रत्येक प्रबंधक, प्रबंध-निदेशक या अन्य अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उप-विनियम (ii) के अधीन अन्वेषण करने के लिए अन्वेषण प्राधिकारी के समक्ष अपने पास रखी गई सभी लेखा-बहियों, रजिस्टरों तथा अन्य दस्तावेज को पेश करें तथा उसे, यथास्थिति, विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के सदस्य के कार्यों से संबंधित किसी ऐसे कथन तथा जानकारी को भी दे जैसा उक्त अन्वेषण प्राधिकारी ऐसे समय के भीतर देने की अपेक्षा करे जैसा उक्त अन्वेषण प्राधिकारी निदेश दे ।

(iv) उपविनियम (i) या उपविनियम (ii) के अधीन कोई जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग, यथास्थिति, विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी सदस्य को ऐसा अवसर देने के पश्चात् रिपोर्ट के संबंध में ऐसा अभ्यावेदन देने के लिए, जो आयोग की राय में युक्तियुक्त समझा जाएं, लिखित में आदेश द्वारा , --

(क) विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के सदस्य से रिपोर्ट से उद्भूत किसी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा आयोग उचित समझे ; या

(ख) इन विनियमों के अधीन पावर एक्सचेंज के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा ; या

(ग) पावर एक्सचेंज को सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का निदेश दे सकेगा ; या

(घ) पावर एक्सचेंज को पावर एक्सचेंज के कारबार को जब्त करने का निदेश दे सकेगाः

परंतु यह कि उपरोक्त विनिर्दिष्ट कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है ।

56. अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति

जहां अन्वेषण या हस्तक्षेप के दौरान, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि इन विनियमों का उल्लंधन किया गया है या उल्लंधन लगातार किया जा रहा है या ऐसे कार्य के किए जाने की संभावना है तो आयोग आदेश द्वारा किसी पक्षकार को अस्थायी रूप से ऐसे कार्य को करने से तब तक रोक सकेगा जब तक कि ऐसे पक्षकार को कोई सूचना दिए बिना, ऐसा अन्वेषण या हस्तक्षेप पूरा नहीं हो जाता है या अगले आदेश तक जहां ऐसा करना आवश्यक समझे ।

57. पावर एक्सचेंज द्वारा जानकारी का दिया जाना

(i) एक्सचेंज सभी सुसंगत कीमत सुग्राही जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डालेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा किंतु वह इस तक ही सीमित नहीं होगीः-

(क) भारतीय मौसम की स्थिति की दैनिक जानकारी ;

(ख) ईंधन कीमत जानकारी ;

(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट में उपलब्ध डामों का जलाशय स्तर ;

(घ) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी कोई आवश्यक बाजार जानकारी दी जाएं ;

(ड.) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक ऊर्जा समिति में उपलब्ध उत्पादकों/पारेषण लाइनों की योजनाबद्ध रखरखाव अनुसूची ;

(च) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध मांग भविष्यवाणी जानकारी तथा भार उत्पादन संतुलन रिपोर्ट ।

(ii) एक्सचेंज की वेबसाइट पर कीमतें, मात्रा तथा ऐतिहासिक कीमतें भी उपलब्ध होंगी तथा आसानी से डाउनलोड किया जा सके ।

(iii) व्यापार कीमतें, अर्थात् मास की अधिकतम, न्यूनतम तथा औसत तथा व्यापार की गई औसत मात्रा को मास में एक बार दो प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा ।

(iv) पावर एक्सचेंज संपूर्ण देश में नियमित आधार पर सदस्य/ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगा ।

58. एक्सचेंज द्वारा बाजार निगरानी

(i) सभी पावर एक्सचेंज संव्यवहारों की दिन प्रतिदिन मानीटरिंग तथा निगरानी करने के लिए एक बाजार निगरानी समिति का गठन करेंगे । वे उप-विनियम (v) में यथा उल्लिखित अन्य विश्लेषण भी करेंगे ।

(ii) पावर एक्सचेंज बाजार निगरानी समिति का गठन करेंगे जिसका अध्यक्ष बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक होगा तथा सदस्य एक्सचेंज के कार्यकारी दल से होंगे । इस समिति का कोई भी सदस्य पावर एक्सचेंज का सदस्य नहीं होगा ।

(iii) पावर एक्सचेंज निगरानी विभाग बाजार निगरानी समिति को अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । बाजार निगरानी समिति आयोग को तिमाही निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(iv) बाजार निगरानी केवल प्राधिकृत कार्मिकों द्वारा वस्तुगत सुनिश्चितता तथा निर्बंधित क्षेत्र से ही की जाएगी तथा कार्मिक सभी समय पर जानकारी तथा आंकड़ों की सुरक्षा को बनाए रखेंगे तथा विशेषकर जब नीलामी बोली आरंभ हो । ऐसे कार्मिकों के सभी वाद-विवादों को अभिलिखित किया जाएगा तथा इस संबंध में उसको ज्ञात कराया जाएगा कि ये अभिलिखित टेलीफोन लाइनें हैं । ओडियो टेप मांगे जाने पर आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(v) बाजार निगरानी समिति बोली पैटर्न तथा भागीदारों के व्यापारों का विश्लेषण करेगी तथा निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों, किंतु जो सीमित नहीं होंगे, में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगीः-

(क) ग्राहकों, संविदाओं की आरंभिक स्थिति;

(ख) विनिर्दिष्ट समय-अवधि पर संव्यवहार करने की एक्सचेंज के सदस्यों की पद्धति ;

(ग) कीमतों की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक उच्च विश्लेषण (आगे के दिन तथा आगे की अवधि की संविदा कीमत);

(घ) विक्रेता तथा क्रेता का कीमत सेटलर विश्लेषण

(ङ.) प्रबल भागीदार तथा बाजार एकाग्रता ;

(च) सर्कुलर व्यापारिक मानीटरिंग ;

स्पष्टीकरणःउसी कीमत तथा उसी समय, स्वामित्व में वास्तविक परिवर्तन किए बिना, संविदा की उसी मात्रा का क्रय तथा विक्रय करने के लिए कपटपूर्ण संव्यवहार

(छ) अचानक उच्च व्यापारिक मात्रा तथा एक्सचेंज के सदस्य की आरंभिक स्थिति में अचानक वृद्धि का विश्लेषण ;

(ज) एक्सचेंज या समाशोधन निगम पर किसी सदस्य द्वारा लगातार व्यतिक्रम का विश्लेषण तथा उसके कारण ;

(झ) यह जांच करने के लिए संव्यवहारों का विश्लेषण कि आयोग द्वारा यथा अनुमोदित बाजार में तेजी लाने वाली पद्धति का अनुसरण पारेषण कारीडोरों में संकुलन की दशा में किया जा रहा है ।

59. एक्सचेंज, विद्युत व्यापारी तथा द्विपक्षीय/ओटीसी बाजार भागीदारों के लिए व्यापार रिपोर्टिंग अपेक्षा

(i) सारी रिपोर्टिंग इलैक्ट्रानिक प्ररूप में होगी ;

(ii) विद्युत व्यापारी के लिए, व्यापार रिपोर्ट, समय-समय पर, यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 के अनुसार विहित प्ररूप में होगी ;

(iii) उप-विनियम (ii) में उल्लिखित विहित रिपोर्टों के अतिरिक्त, विद्युत अनुज्ञप्तिधारी आरंभिक स्थिति रिपोर्ट तथा सभी व्यापारों की अवधि और जोखिम मानीट्रिंग प्रयोजन के लिए तिमाही आधार पर जोखिम सारांश रिपोर्ट प्रदान करेगाः

परंतु यह कि आयोग, आदेश द्वारा, समय-समय पर, प्ररूपों का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

(iv) एक्सचेंज मासिक आधार पर अपने प्लेटफार्म पर कीमत, संव्यवहार मात्रा, विक्रेता तथा क्रेता के संबंध में जानकारी देगाः

परंतु यह कि आयोग, आदेश द्वारा, अन्य रिपोर्ट करने वाले ब्यौरों तथा तकनीकी, बाजार में नकदी के प्रकार, अस्थिरता तथा बाजार के अन्य मानदंडों पर निर्भर करते हुए फ्रिक्वेंसी रिपोर्टिंग का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

(v) आगे के दिन के बाजार के लिए, पावर एक्सचेंज इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में अपने प्लेटफार्म पर सभी संव्यवहारों के मासिक ब्यौरे उपलब्ध कराएगाः

परंतु यह कि आयोग, आदेश द्वारा, समय-समय पर, प्ररूपों का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

(vi) आगे की अवधि के बाजार के लिए, पावर एक्सचेंज बाजार विस्तार सीमा (एमडब्ल्यूएल), अपने सदस्यों की आरंभिक हित (ओआई), आरंभिक्र स्थिति सीमा की रिपोर्ट देगा । एमडब्ल्यूएल तथा ओआई को पावर एक्सचेंज की व्यापार प्रणाली तथा भागीदारों के इलैक्ट्रानिक व्यापार टर्मिनलों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I - बाजार विस्तार सीमा एक्सचेंज पर विनिर्दिष्ट संविदा के लिए बाजार के साथ-साथ सभी ग्राहकों का कुल आरंभिक हित है ।

स्पष्टीकरण-II - आरंभिक हित अंडरलाइंग आस्ति पर आरंभिक संविदाओं की कुल संख्या है अर्थात्: ग्राहक या सदस्य की भावी संविदाओं या वैकल्पिक संविदाओं की संख्या जिसका परिदान द्वारा प्रयोग नहीं किया है, समाप्त नहीं किए गए है या जिन्हें पूरा नहीं किया गया है ।

(vii) सभी एक्सचेंज आयोग को तिमाही आधार पर विनियम 58 के उप-विनियम (v) में उल्लिखित रिपोर्ट का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा ।

(viii) एक्सचेंज आयोग को यथा विहित अपने विश्लेषण के साथ, तथा जब कभी आयोग द्वारा निदेश दिया जाए, सभी भागीदारों की बोलियां प्रस्तुत करेगा ।

(ix) अल्प-कालिक बाजार में 100 मेगावाट से अधिक अंतर-राज्यिक संव्यवहारों के लिए विक्रेताओं तथा क्रेताओं के बीच प्रत्यक्षतः किए गए ऊर्जा संव्यवहार की रिपोर्ट निष्पादन के 10 दिन के भीतर आयोग को दी जाएगी ।

60. विसल ब्लोइंग नीति

(i) बाजार भागीदार विधि के किसी अनैतिक क्रियाकलाप, अन्याय या अतिलंधन, जो उनकी जानकारी में आए, को आयोग को या तो पत्र द्वारा या ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट करने के हकदार होंगे ।

(ii) उपरोक्त जानकारी देने वाला व्यक्ति यह अनुरोध करने का हकदार होगा कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए तथा उसे प्रकट न किया जाए ।

(iii) आयोग किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा ऐसी सूचना देने के लिए किसी प्रतिकार की दशा में कड़ी कार्रवाई करेगा ।

61. आंतरिक व्यापार नीति

ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास उत्पादक कटौती, संयंत्र रखरखाव के संबंध में गैर-सार्वजनिक कीमत संवेदी जानकारी है, पावर एक्सचेंज तथा अन्य एक्सचेंज जब तक ऐसी जानकारी एलडीसी को प्रस्तुत न कर दी हो तब तक संव्यवहार नहीं करेगा ।

62. आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि व्यक्ति उपरोक्त किन्हीं भी उपबंध का अनुपालन करने में असफल हो गया है, किसी भी समय, लिखित में आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति के कार्यों का अन्वेषण करने के लिए विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकेगा तथा ऐसे अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा की गई जांच को आयोग को देगा । विनियम 55 के उपबंध इस विनियम में विनिर्दिष्ट अन्वेषण को यथावत लागू होंगे ।

भाग - 8
प्रकीर्ण

63. आयोग की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति

(i) इन विनियमों की कोई बात न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए या आयोग की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के लिए ऐसे आदेश, जो आवश्यक समझें जाएं, करने की आयोग की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी ।

(ii) इन विनियमों की कोई बात, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों को किंही भी उपबंधों के फेरफार से हुई हो जिसमें प्रक्रिया सारांश भी है, को स्वीकार करने से आयोग को वर्जित नहीं करेगी यदि आयोग, मामले या मामले के वर्ग की विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से इस प्रकार निपटने के लिए आवश्यक या समीचीन समझें ।

(iii) इन विनियमों की कोई बात आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले से निपटने या किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, करने से नहीं रोकेगी तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों तथा कृत्यों से ऐसी रीति से निपटेगा जैसे वह आवश्यक समझे ।

64. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, आदेश द्वारा, अधिनियम के उपबंधों के असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगा जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

65. इन विनियमों के उपबंध, आयोग द्वारा बनाए गए किसी अन्य विनियम के अतिरिक्त हैं न कि उनके अल्पीकरण में ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09/असा.]

प्ररूप - ख-1

पावर एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार किए गए विद्युत (दिन-वार) की मात्रा तथा कीमत

पावर एक्सचेंज़ का नामः

मासः

परिदान तारीख	घंटे में क्रय बोलियों की अधिकतम संख्या	क्रय बोलियों की मात्रा (एमयू)	घंटे में विक्रय बोलियों की अधिकतम संख्या	विक्रय बोलियों की मात्रा (एमयू)	बाज़ार समाशोधन मात्रा (एमयू)	बाजार समाशोधन कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)		
						अधिकतम	न्यूनतम	भारित औसत

प्ररूप - ख-2

पावर एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार किए गए विद्युत (घंटे-वार) की मात्रा तथा कीमत

पावर एक्सचेंज का नामः

मासः

तारीखः

क्रम सं.	घंटे	क्रय बोलियां		विक्रय बोलियां		बाजार समाशोधन मात्रा (एमयू)	बाजार समाशोधन कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)
		बोलियों की मात्रा	मात्रा (एमयू)	बोलियों की मात्रा	मात्रा (एमयू)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

टिप्पणीः आंकड़ा पावर एक्सचेंज द्वारा मास के प्रत्येक दिन के लिए प्रस्तुत किया जाना है ।

प्ररूप ख.3

सदस्यों की सूची

क्रम सं.	सदस्य का नाम तथा ग्राहकों	वह व्यक्ति जिससे संपर्क किया जाना है	पता	टेलीफोन	इ-मेल

प्ररूप ख-4

केविविआ को संकुलन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

पावर एक्सचेंज का नामः

जानकारी फाइल करने की तारीखः दिन मास वर्ष   वह अवधि जिसके लिए ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं

तारीख से   दिन मास वर्ष

तारीख तक   दिन मास वर्ष

क्रम सं	तारीख	घंटे	संकुलित कॉरीडोर (अर्थात एसआर के लिए कुल आयात)	एमडब्ल्यूएच के संकुलित कॉरीडोर पर ऊर्जा प्रवाह (क)	अपस्ट्रीम (रुपए/एमडब्ल्यूएच) (ख)	कीमतें डाउनस्ट्रीम (रुपए/केडब्ल्यूएच) (ग)	अंतर (रुपए/केडब्ल्यूएच (घ) = (ग) (ख)	संकुलन राजस्व रुपए में (ड.) = (क) x (घ)
संग्रहीत कुल संकुलन राजस्व								

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)